



फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/92/2021-22

11 मार्च, 2022

सेवा में,

श्रीमती जयश्री पी. घरत
जे.एन.पी.टी. टारुनशीप,
उरण, नवी मुंबई,
पिन कोड-400707

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक शून्य के पत्र जोकि इस सचिवालय में दिनांक 05.03.2022 को प्राप्त हुआ है तथा जिसके साथ आपने दस रूपये का पोस्टल ऑर्डर सं. 52F 646376 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बिंदुवार जानकारी से अवगत कराने के संबंध में निवेदन किया है, का संदर्भ ग्रहण करें।

इस विषय में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबंधित नहीं है इस कारण हम आपको इस विषय में कोई भी सूचना दे पाने में असमर्थ हैं। इस संबंध में आपको यह सूचित करना है कि इस सचिवालय के पास सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के अधीन यथा परिभाषित कोई 'सूचना' उपलब्ध नहीं है। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिये सीधे संबंधित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें। अतः आपका पत्र मूल रूप में एवं दस रूपये का पोस्टल ऑर्डर सं. 52F 646376 सहित आपको लौटाया जा रहा है। आशा है आप स्थिति से अवगत होंगे।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

hurbi.shakeel@nic.in



हिंदी में जानकारी देने की कृपा करें।
दिनांक:- 04 जानेवारी 2022

To,
मा. एम वैकेय्या नायडू साहेब
मा. उपराष्ट्रपती
मु.पो. मौलाना आझाद रोड,
गुरुद्वारा के पास, न्यु दिल्ली-11

हात जोडकर प्रार्थना.

I. P. O. No. 52F 646376

To, मा. श्री. अनिलकुमार लाहोटी साहेब मा. जनरल मॅनेजर - सेंट्रल रेल्वे मु.पो. जनरल मॅनेजर ऑफिस-सेंट्रल रेल्वे सी.एस.टी.-मुंबई - 400 001	To, मा. श्री. शिवाजी सुतार साहेब मा. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी -सेंट्रल रेल्वे मु.पो. जनरल मॅनेजर ऑफिस-सेंट्रल रेल्वे सी.एस.टी.-मुंबई - 400 001	To, मा. सुधीरकुमार त्यागी साहेब Principal E. D. Vigilance रेल मंत्रालय -भारत सरकार रेलभवन - नई दिल्ली - 1 E-mail-amvig@rb.railnet.gov.in
---	---	---

अर्जीदार:- जयश्री पी. घरत (एम. कॉम) विधवा महिला-सामाजिक कार्यकर्ती
पत्ता:- जे.एन.पी.टी. टाऊनशीप, उरण-नवी मुंबई- 400707

विषय नं. 1 :- उरण एरिया के, बोरी इलाके में सेंट्रल रेल्वे के, रेल्वे ट्रॅक पर वॉल कपाऊड डालने की परमिशन, अनिलकुमार लाहोटी (जनरल मॅनेजर-सेंट्रल रेल्वे) इन्होंने, लिखित स्वरूप से दि है। इसकी इनक्वायरी करे।

विषय नं. 2:- इंडियन नेक्की के अॅम्युनेशन डेपो में जानेवाले, रेल्वे ट्रॅक के उपर, कन्स्ट्रक्शन हो रहा है। रेल्वे एन.ए.डी.-करंजा इंडियन नेक्की के ट्रॅक के उपर कपाऊड डाला जा रहा है। इसके वजह से, इंडियन नेक्की में, आने वाले अॅम्युनेशन को रोक लगी है। इसकी इनक्वायरी करे।

विषय नं. 3:- उरण बोरी एरिया में, साईप्रेरणा कॉलनी (बोरी, सरकारी हॉस्पिटल के पास), सेंट्रल रेल्वे का, रेल्वे ट्रॅक, नेक्की अॅम्युनेशन डेपो के अंदर जा रहा है। इस साईप्रेरणा कॉलनी के पास, रेल्वे का ट्रॅक के उपर कन्स्ट्रक्शन करने वाले, स्मिताताई घरत, जे.एस. घरत, इनको तुरंत अॅरेस्ट करे।

महोदय,

उरण के बोरी इलाके में, साईप्रेरणा कॉलनी के पास, इंडियन नेक्की मे अॅम्युनेशन डेपो में जानेवाले रेल्वे ट्रॅक के उपर बाकायदा कन्स्ट्रक्शन हुआ है। सभी रेल्वे ट्रॅक गायब किये गये है। कई रेल्वे ट्रॅक के उपर कपाऊड डालने का काम हो चुका है। इस बारे में हमने, स्मीता घरत इनसे बात की, तो उन्होने बताया की रेल्वे ट्रॅक अंतर लेने के लिये, हमने, शिवाजी सुतार, अनिलकुमार साहेब, और बी के दादाभाय इन्होंने हमें रेल्वे ट्रॅक अंदर लेने की लिखित अनुमती दि है। उसका लेटर हमें दिखाया है। स्मिता घरत की प्रॉपर्टी / घर और रेल्वे ट्रॅक बाजूबाजू में है। स्मीता घरत ने, रेल्वे ट्रॅक में, अपने प्रॉपर्टी ले चुकी है। इस बारे में रेल्वे के कई ऑफीसर्सने लाखों रुपया लेकर परमिशन दे चुके है। इसकी इनक्वायरी करने की जरूरत है।

उरण रेल्वे स्टेशन - इंडियन नेक्की ट्रॅक के उपर, 300 कन्स्ट्रक्शन हुए है। इस कन्स्ट्रक्शन में रेल्वे के ऑफीसर्स की मिली भगत है। इंडियन नेक्की के रेल्वे ट्रॅक के उपर रस्ता बन चुका है। और रेल्वे ट्रॅक अभी दिख नहीं रहे है। उन सभी के उपर सेंट्रल रेल्वे के ऑफीसर्स ने, उरण रेल्वे स्टेशन इंडियन नेक्की रेल्वे के सात किलोमीटर का एरिया, सभी 300/400 कन्स्ट्रक्शन तोडकर, रेल्वे ट्रॅक फ्री करे। यही हमारी मांग करे। कृपया त्वरीत इनक्वायरी करे।

अगर सेंट्रल रेल्वे ने कारवाई नहीं की तो, महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के तारीख 1 मई 2022 को, अनिलकुमार लाहोटी और शिवाजी सुतार के ऑफीस में, जाकर हम, तीव्र आंदोलन करेंगे और धरना आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में उरण के 150 महिलायें शामिल होने वाली है।

अर्जीदार की सही/-

J. P. Ghart
जयश्री पी. घरत (एम. कॉम)

विधवा महिला - सामाजिक कार्यकर्ती

विनंती:- दि. 03 फरवरी 2022 तक कारवाई की जानकारी लिखित रूप से पोस्टद्वारे देने की कृपा करे।